निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.24( )लेखा–ए/अनु/निकाशि/12–13/796 दिनांकः– 10/1/2012

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त पूर्व अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.ए. 10227/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना भुगतान हेतु क्लेम मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 1365–1435 दिनांक 26.12.2011 व 1591–1661 दिनांक 07.02.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में आपको यदि भुगतान देय होता है व आप द्वारा इस हेतु पूर्व में क्लेम प्रस्तुत किया गया है व आपको अब तक भुगतान नहीं हुआ है या विभागीय आक्षेप उपरान्त कमी पूर्ती कर आप द्वारा पुनः क्लेम इस विभाग को नहीं भिजवाया गया हो तो अपना क्लेम पुनः मय आवश्यक दस्तावेजों के साथ व संदर्भित पत्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.02.2012 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें। क्लेम तैयार करते वक्त निम्न बिन्दुओं की पूर्ति सुनिश्चित करली जावे जिससे कि अनावश्यक विलम्ब न हो–

1. प्रपत्र 1, 2 व 3 के नीचे लिखे बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे व इनके साथ कर्मचारी वार पूरी अवधि के माहवार अन्तर विवरण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

2. ये अन्तर विवरण प्रपत्र किस प्रकार तैयार किये जाने हैं इन प्रपत्रों में नीचे लिखा गया है। कृपया इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें जिससे कि क्लेम सही रूप से तैयार हो सकेंगे। अन्तर विवरण पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर कालम की हैडिंग अंकित करना भी सुनिश्चित करें।

3. प्रपत्र 1 में दिनांक 2.1.86 से 31.12.95 के दौरान स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सूचना इसी प्रारूप में पृथक से तैयार की जानी है व इसी प्रकार प्रपत्र 2 में 1.1.1996 के बाद नियुक्त कर्मचारियों का स्टेटमेंट अलग से तैयार किया जाना है।

4. प्रपत्र 1 व 2 में अनुदान प्रतिशत के अनुसार शेष बची राशि की गणना की जानी है। उदाहरण के लिए यदि संस्था 80 प्रतिशत अनुदान पर थी तो शेष 20 प्रतिशत राशि की गणना की जानी है।

5. इन तीनों प्रपत्रों में देय राशि की जो अलग–अलग अवधि निर्धारित है उसमें शुद्ध भुगतान योग्य राशि का अवधिवार अंकन किया जाना है ना कि ड्यू ड्रॉन स्टेटमैंट में ड्यू बताई गई राशि का।

6. कवरिंग लैटर में तीनों प्रपत्रों की क्लेम की गई राशि का प्रपत्रवार विवरण व कुल राशि जिसकी मॉग की जा रही है का अंकन अपेक्षित है।

उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार क्लेम तैयार कर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करावें। विलम्ब की दशा में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का स्वयं का होगा।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1 निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा विभाग, राज., जयपुर ।
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता, कॉलेजा शिक्षा को विभाग की वॅबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर